न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 191/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/307)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरेश कुमार पुत्र लूणा राम जाति नायक निवासी चक 54 एफ प्रथम दानेवाला तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद आर 05/348 एस.टी.पी.एस. कॉलोनी सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।	1. केवल कृष्ण पुत्र लूणा राम जाति नायक निवासी चक 54 एफ प्रथम दानेवाला तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 04.10.2024

उपस्थितः1. श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता वादी
2.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

---निर्णय--- **दिनांकः 21.11.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 230/226 के मुरब्बा नम्बर 132, 155, 166, 174/31 की कुल 4.150 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है, जिसका अभी तक किलावाईज विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए वादी संयुक्त खाता की उक्त प्रश्नगत भूमि का भूमि की किस्म अनुसार रास्ता तथा सिंचाई पानी की सहुलियत के मद्देनजर किलावाईज विभाजन करवाकर अपने हिस्सानुसार किलावाईज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अलग से अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार है और वादी भूमि का अलग से खाता कायम करवाकर स्वंय को विभाजनशुदा भूमि का खातेदार घोषित करवा पाने का अधिकारी है, जिसके लिए वादी उक्त दावा ला पाने का अधिकारी है। आज से 15 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 230/226 के मुरब्बा नम्बर 132, 155, 166, 174/31 की कुल 4.150 हैक्टेयर भूमि की किस्म अनुसार रास्ता तथा सिंचाई पानी की सहुलियत के मद्देनजर किलावाईज विभाजन करवाकर अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 230/226 के मुरब्बा नम्बर 132, 155, 166, 174/31 की कुल 4.150 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी केवल कृष्ण के मध्य बंटवारा मौके पर

सहायक कलक्टर एव पदन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपर (श्रीगंगानगर)

बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 230/226 के मुरब्बा नम्बर 132, 155, 166, 174/31 की कुल 4.150 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
सुरेश कुमार पुत्र लूणा राम जाति नायक निवासी चक 54 एफ प्रथम दानेवाला तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद आर 05/348 एस.टी.पी.एस. कॉलोनी सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर। (2.075 हैक्टेयर)	1 एफ सी	132	13/1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.53
			14/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.85
			17	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.70
			18	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.17
			25/2	0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.68
		155	10	0.051 हैक्टेयर	नहरी	0.34
			21	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.02
			22	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.28
			23, 24	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.40
			25/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.85
			25/2	0.089 हैक्टेयर	नहरी	0.60
		166	5/3	0.164 हैक्टेयर	नहरी	1.10
		174/31		0.063 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
केवल कृष्ण पुत्र लूणा राम जाति नायक निवासी चक 54 एफ प्रथम दानेवाला तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर (2.075 हैक्टेयर)	1 एफ सी	132	18	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.53
			19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.70
			20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.53
		155	5/3	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.85
			6,7,8	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.10
			9/1	0.089 हैक्टेयर	नहरी	0.60
			9/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.85
			10	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.36
		174/31		0.064 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर